In the Court of Sh. Raman Kumar Sharma (HAS), Sub-Divisional Magistrate -cum-
Special Marriage Officer Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Vinod Kumar aged 34 years s/o Sh. Ram Lal, r/o Village Udgose, P.O. Karpat, Tehsil Udaipur, District Lahaul and Spiti (H.P.) at present Doctor of C.H. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

and

Poonam aged 34 years d/o Sh. Lal Chand, r/o Shilihar Parla Bhunter, P.O. & Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.) at present w/o Sh. Vinod Kumar, r/o Village Udgose, P.O. Karpat, Tehsil Udaipur, District Lahaul and Spiti (H.P.) at present Doctor of C.H. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Vinod Kumar aged 34 years s/o Sh. Ram Lal, r/o Village Udgose, P.O. Karpat, Tehsil Udaipur, District Lahaul and Spiti (H.P.) at present Doctor of C.H. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Poonam aged 34 years d/o Sh. Lal Chand, r/o Shilihar Parla Bhunter, P.O. & Tehsil, Bhunter, District Kullu (H.P.) at present w/o Sh. Vinod Kumar, r/o Village Udgose, P.O. Karpat, Tehsil Udaipur, District Lahaul and Spiti (H.P.) at present Doctor of C.H. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) have presented an application on dated 27-03-2024 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 28-04-2024 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 30th day of March, 2024.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate-cum-
Special Marriage Officer,
Manali, District Kullu (H.P.).

In the Court of Sh. Raman Kumar Sharma (HPAS), Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Abhay Sood aged 41 years s/o Sh. Raj Kumar, r/o Village Mandli, P.O. Banjar, Tehsil Banjar, District Kullu (H.P.) at present, r/o 12A Chandigarh, Shoe Place, Ward No. 4 Manali, District Kullu (H.P.).

and

Yogeshwari Kashta w/o Sh. Abhay Sood, r/o Village Mandli, P.O. Banjar, Tehsil Banjar, District Kullu (H.P.) at present, r/o 12A Chandigarh, Shoe Place, Ward No. 4 Manali, District Kullu (H.P.) (DOB 19-08-1991) Adhaar No. 8250 2362 3797.

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act.

Abhay Sood aged 41 years s/o Sh. Raj Kumar, r/o Village Mandli, P.O. Banjar, Tehsil Banjar, District Kullu (H.P.) at present, r/o 12A Chandigarh, Shoe Place, Ward No. 4 Manali, District Kullu (H.P.) and Yogeshwari Kashta w/o Sh. Abhay Sood, r/o Village Mandli, P.O. Banjar, Tehsil Banjar, District Kullu (H.P.) at present, r/o 12A Chandigarh, Shoe Place, Ward No. 4 Manali, District Kullu (H.P.) (DOB 19-08-1991) Adhar No. 8250 2362 3797 have presented an application on dated 04-04-2024 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 05-05-2024 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 10th day of April, 2024.

Seal.

Sd/-
Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu (H.P.).

In the Court of Sh. Raman Kumar Sharma (HAS), Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Sonam Angroop aged 49 years s/o Sh. Phunchog Tashi, r/o Village Yoche, P.O. Darcha Sumdo, Tehsil Keylong, District Lahaul and Spiti (H.P.) at present residing at, V.P.O. Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

and

Mrs. Dolma Devi aged 51 years d/o Sh. Amar Chand, r/o V.P.O. Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Sonam Angroop aged 49 years s/o Sh. Phunchog Tashi, r/o Village Yoche, P.O. Darcha Sumdo, Tehsil Keylong, District Lahaul and Spiti (H.P.) at present residing at, V.P.O. Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Mrs. Dolma Devi aged 51 years d/o Sh. Amar Chand, r/o V.P.O. Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) have presented an application on dated 04-04-2024 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 05-05-2024 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 8th day of April, 2024.

Seal.

Sd/-
Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu (H.P.).

In the Court of Sh. Vikas Shukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

1. Rajesh Kumar s/o Sh. Shyam Tamang, r/o House No. 92, Ward No. 11, Shastri Nagar (Chungi), P.O. Dhalpur, Tehsil & District Kullu (H.P.).

2. Dinesh Kumari d/o Sh. Shyam Lal, r/o House No. 92, Ward No. 11, Shastri Nagar (Chungi), P.O. Dhalpur, Tehsil & District Kullu (H.P.) . . *Applicants*.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Rajesh Kumar and Dinesh Kumari have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 09-11-2010 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid.*

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 04-05-2024. The objection received after 04-05-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 05-04-2024 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Kullu, District Kullu (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.)

Asha Devi . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Smt. Asha Devi d/o Sh. Primu Ram, r/o Village Ropa, P.O. Khanag, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application through District Registrar (B&D)-*cum*-Chief Medical Officer Kullu in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth registration event of herself Smt. Asha Devi d/o Sh. Primu Ram born on 01-01-1977 has not been entered in the record of Gram Panchayat Khani.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering birth event of the applicant Smt. Asha Devi d/o Sh. Primu Ram born on 01-01-1977 in the Panchayat record of Gram Panchayat Khani, he/she/they may file his/ her/their objections on or before 01-05-2024 before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 1st day of April, 2024.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate,
Anni, District Kullu (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री चेंगा शेर्पा पुत्र श्री तेन्जिन पुरी लांमा, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव व डा0 बांहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री चेंगा शेर्पा पुत्र श्री तेन्जिन पुरी लांमा, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव व डा0 बांहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र, मय शपथ–पत्र गुजारा है कि ग्राम पंचायत शनाग के अभिलेख में उनकी पुत्री सिमरन शेर्पा की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आवेदन किया है कि मेरी पुत्री सिमरन शेर्पा की जन्म तिथि 07–11–2011 ग्राम पंचायत शनाग के अभिलेख में दर्ज किया जाए। इस बाबत Chief Medical Officer Kullu की रिपोर्ट अनुप्लबधता प्रमाण–पत्र, सचिव ग्राम पंचायत शनाग, हल्फिया ब्यान, रिपोर्ट प्रधान ग्राम पंचायत शनाग, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र व ग्वाहान के लिखित ब्यान से पाया गया कि सिमरन शेर्पा पुत्री श्री चेंगा शेर्पा की जन्म तिथि 07–11–2011 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को सिमरन शेर्पा पुत्री श्री चेंगा शेर्पा, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव व डा0 बांहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के ग्राम पंचायत शनाग के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 29–04–2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत शनाग के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज कराने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 28–03–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 17–NCT/2024 दायर तिथि : 23–02–2024

श्री धनवीर सिंह पुत्र श्री चैने राम पुत्र श्री दोत राम, निवासी गांव पिगरंग, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ·· प्रार्थी।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता ·· प्रत्यार्थी।

विषय.––दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री धनवीर सिंह पुत्र श्री चैने राम पुत्र श्री दोत राम, निवासी गांव पिगरंग, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 23–02–2024 को इस अदालत में प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी पारली कोठी कोटकण्डी के राजस्व दस्तावेज में धनवीर सिंह पुत्र श्री चैने राम की जगह श्री महिन्द्र सिंह पुत्र श्री चैने राम दर्ज हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम दुरुस्त करके श्री महिन्द्र सिंह उर्फ धनवीर सिंह पुत्र दोत राम दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07–05–2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके

उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10—04—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 06—NCT/2024 दायर तिथि : 14—11—2023

श्री छिन्द्र पाल पुत्र श्री दिले राम पुत्र श्री दयालू, निवासी गांव गनाखला, डा0 भ्रैण फाटी कशावरी कोठी काईस, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ·· प्रार्थी।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता ·· प्रत्यार्थी।

विषय.——दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री छिन्द्र पाल पुत्र श्री दिले राम पुत्र श्री दयालू, निवासी गांव गनाखला, डा0 भ्रैण फाटी कशावरी कोठी काईस, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 14—11—2023 को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उसका व उसके पिता का नाम सहबन गलती से फाटी कशावरी कोठी काईस के राजस्व दस्तावेज में छिन्द्र पाल पुत्र श्री दिले राम की जगह श्री मछिन्द्र पाल पुत्र श्री दिला दर्ज हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना व अपने पिता का नाम दुरुस्त करके श्री मछिन्द्र पाल उर्फ छिन्द्र पाल पुत्र श्री दिला उर्फ दिले राम दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07—05—2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10—04—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 18—CT/2024 दायर तिथि : 06—04—2024

श्री तारा चन्द व मेहर चन्द पुत्रगण श्री नाथू राम पुत्र श्री गीलू, निवासी गांव दोगाधार, डाकघर बजौरा फाटी व कोठी बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ·· प्रार्थीगण।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता ·· प्रत्यार्थी।

विषय.——दरख्वास्त बराये कागजात माल में जाति की दुरुस्ती बारे।

श्री तारा चन्द व मेहर चन्द पुत्रगण श्री नाथू राम पुत्र श्री गीलू, निवासी गांव दोगाधार, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 06—04—2024 को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उनकी जाति सहबन गलती से फाटी बजौरा कोठी बजौरा के राजस्व दस्तावेज में राजपूत दर्ज हुई है जोकि गलत इन्द्राज हुई है अब प्रार्थीगण अराजी हजा के इन्द्राज में अपनी जाति दुरुस्त करके लोहार दर्ज करना चाहते हैं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थीगण की जाति दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07—05—2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जाति दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10—04—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 20—BT/2024 दायर तिथि : 14—03—2024

श्री संजय कुमार पुत्र श्री लेवत राम, निवासी गांव शुरड़, डा0 खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.——प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री संजय कुमार पुत्र श्री लेवत राम, निवासी गांव शुरड़, डा0 खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 07—01—1992 को स्थान शुरड़, डा0 खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु प्रार्थी के माता—पिता ने

प्रार्थी की जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शुरड, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न कर सके।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को संजय कुमार पुत्र श्री लेवत राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07–05–2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10–04–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 19–BT/2024 दायर तिथि : 01–04–2024

श्री कन्हिया लाल पुत्र श्री कपिल देव, निवासी वार्ड नं0 4, नजदीक सन्धया कॉम्पलैक्स भुन्तर, डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कन्हिया लाल पुत्र श्री कपिल देव, निवासी वार्ड नं0 4, नजदीक सन्धया कॉम्पलैक्स भुन्तर, डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा इस कार्यालय में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र दिया गया है कि उसके पुत्र आयुष कुमार का जन्म दिनांक 04–09–2016 को स्थान वार्ड नं0 4, नजदीक सन्धया कॉम्पलैक्स भुन्तर, डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु प्रार्थी ने अपने पुत्र की जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर पंचायत भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न कर सका।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री आयुष कुमार पुत्र श्री कन्हिया लाल की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07–05–2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10–04–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 08—MT/2024 दायर तिथि : 01—03—2024

1. श्री लाल चन्द पुत्र श्री राम सरन, निवासी गांव श्याम नगर, डाकघर शियाह, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

2. श्रीमती डिम्पल पुत्री श्री जगदीश चन्द, गांव टारबाई, डा0 ब्राधा, उप—तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—— प्रार्थना—पत्र जेर धारा 5(4) हि0प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने 01—03—2024 को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 20—01—2023 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति—पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे है परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मन्झली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07—05—2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10—04—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.)

Govind Singh . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Sh. Govind Singh s/o Sh. Kumbh Dass, r/o Village Shagagi, P.O. Khun, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application through District Registrar (B&D)-*cum*-Chief Medical Officer Kullu in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth registration event of himelf Sh. Govind Singh s/o Sh. Kumbh Dass born on 01-07-1971 has not been entered in the record of Gram Panchayat Khani.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering birth event of the applicant Sh. Govind Singh s/o Sh. Kumbh Dass born on 01-07-1971 in the Panchayat record of Gram Panchayat Khani, he/she/they may file his/ her/their objections on or before 10-05-2024 before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 10th day of April, 2024.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Anni, District Kullu (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.)

Kaushalya Devi . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Smt. Kaushalya Devi d/o Sh. Sita Ram, r/o Village Nagot, P.O. Kamand, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application through District Registrar (B&D)-*cum*-Chief Medical Officer Kullu in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth registration event of herself Smt. Kaushalya Devi d/o Sh. Sita Ram born on 01-07-1977 has not been entered in the record of Gram Panchayat Kohila.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering birth event of the applicant Smt. Kaushalya Devi d/o Sh. Sita Ram born on 01-07-1977 in the Panchayat record of Gram Panchayat Kohila, he/she/they may file his/ her/their objections on or before 10-05-2024 before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 10th day of April, 2024.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Anni, District Kullu (H.P.).

ब अदालत श्री टेक चन्द चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, आनी, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 20/2023 तारीख संस्थापन : 01–06–2023

श्रीमती संगीता कौशिक पुत्री स्व0 श्री विष्णु दत, फाटी मांझादेश, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) हाल निवासी मकान नं0 396, सेक्टर–15, भाग–1, गुडगांव (हरियाणा) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त।

श्रीमती संगीता कौशिक पुत्री स्व0 श्री विष्णु दत, फाटी मांझादेश, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) हाल निवासी मकान नं0 396, सेक्टर–15, भाग–1, गुडगांव (हरियाणा) ने अदालत हजा में प्रार्थना–पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2015–16 नकल परिवार राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण–पत्र व शपथ–पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त मांझादेश के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 1565/1809, 1569/1813 व 1570/1814 में उसके पिता का नाम विशन चन्द गलत दर्ज है जबकि प्रार्थिया के मुताबिक उसके पिता का नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप विष्णु दत्त है। आवेदिका ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त मांझादेश के राजस्व कागजात में उसके पिता के नाम को दुरुस्त किया जावे।

यह मिसल अदालत हजा से छानबीन व रिपोर्ट हेतु कानूनगो वृत्त आनी को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो व पटवारी मांझादेश के अनुसार आवेदिका के पिता का नाम पटवार वृत्त मांझादेश के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है। विशन चन्द के स्थान पर विष्णु दत दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह तिथि 09–05–2024 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थिया का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह आदेश आज दिनांक 08–04–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुए।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आनी, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री टेक चन्द चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, आनी, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 08/2022 तारीख संस्थापन : 16–06–2022

श्री केशव राम पुत्र श्री चमारू राम, निवासी गांव लोशटी, डा0 लगौटी, फाटी करशैईगाड, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त।

श्री केशव राम पुत्र श्री चमारू राम, निवासी गांव लोशटी, डा0 लगौटी, फाटी करशैईगाड, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना–पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2014–15 नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, शपथ–पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त करशैईगाड के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 649/800 में उसका नाम किशू गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप केशव राम है। आवेदक ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त करशैईगाड के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त किया जावे।

यह मिसल अदालत हजा से छानबीन व रिपोर्ट हेतु कानूनगो वृत्त कुंगश को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, आवेदक का नाम पटवार वृत्त करशैईगाड के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है। किशू के स्थान पर केशव राम दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह तिथि 09–05–2024 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह आदेश आज दिनांक 08–04–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आनी, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————